



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239625
CG-DL-E-13102022-239625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4659]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944

No. 4659]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4869(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4379 तारीख 20.10.2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 4028, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 21.10.2021 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में केन्द्र सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाए जाने वाले दक्षिणी कावेरी एसेट पाइपलाइन नेटवर्क के प्राकृतिक गैस उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजना के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अनुसार किसी भी मुआवजे के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। धारा 13 के अनुसार, पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले के लिए केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या निगम के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची						
तालुका : किलाकराई			जिला : रामनाथपुरम		राज्य : तमिलनाडु	
क्रम सं.	तालुका का नाम	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	किलाकराई	कन्जीरंगुडी	82 (रोड)	00	01	62
			79 (रास्ता)	00	01	50
			69/1C	00	02	05
			48/3	00	04	59
			45/3E	00	09	47
2	किलाकराई	त्रिरूपुलानी	579 (22)	00	74	94
			512 (19)	01	09	84
			498/1	00	00	58
			497/1	00	19	29
			500/2	00	05	00
			500/1C	00	00	12
			500/1B	00	03	72
			500/1A	00	01	66
			501/5A1	00	02	22
			501/2	00	00	14
			502/4C	00	01	82
			486/1	00	05	28

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/40/2021-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-38263)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4869(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.ONo. 4379(E) dated the 20th Oct 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 4028 dated the 21th Oct 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas Product, of Southern Cauvery Asset Pipeline Network Should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited, shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE						
TALUKA: KILAKARAI,		DISTRICT: RAMANATHAPURAM		STATE: TAMILNADU		
Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Block No.	Area Statement		
				Hect.	Are.	Sq. Mt.
0	2	3	4	5	6	7
1	KILAKARAI	KANJIRANGUDI	82 (ROAD)	00	01	62
			79 (Rasta)	00	01	50
			69/1C	00	02	05
			48/3	00	04	59
			45/3E	00	09	47
2	KILAKARAI	THIRUPPULANI	579 (22)	00	74	94
			512 (19)	01	09	84
			498/1	00	00	58
			497/1	00	19	29
			500/2	00	05	00
			500/1C	00	00	12
			500/1B	00	03	72
			500/1A	00	01	66
			501/5A1	00	02	22
			501/2	00	00	14
			502/4C	00	01	82
			486/1	00	05	28

[F. No. Expl-11032(11)/40/2021-EXPL-I-PNG) (E- 38263)]

R. K. KUREEL, Director